


तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज ज्ञानचन्द जाजोरिया बनाम जेडीए जरिये आयुक्त-11 अपील संख्या 2025 / 1337	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.04.26	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्ट अनुपस्थित। प्रकरण में अधिवक्ता अपीलान्ट को आवाज लगवाई गई। पुनः रूक रूककर आवाजें लगवाई गई फिर भी अधिवक्ता अपीलान्ट अनुपस्थित है एवं अपीलार्थी या उनकी ओर से अन्य कोई और भी न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे विदित होता है कि प्रकरण वर्ष 2025 से एडमिशन एवं प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम की बहस में विचाराधीन चल रहा है तथा अधिवक्ता अपीलान्ट पूर्व में भी अनुपस्थित रहे है आज भी अपीलार्थी की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।</p> <p>अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा पत्रावली बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हों। आदेश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">  (वे.सरवण कुमार) संवागीय अपुक्ते, जबपुर </p>	